निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 26/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ इण्डिया शाखा –202 नृसिंह टावर, गोवर्धन कालोनी, संजीवनी हास्पीटल के सामने, सांगानेर रोड, जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी । (राज.)

प्रार्थी बैंक

बनाम

(1) मैसर्स होटल दा रायल प्लाजा प्रो॰ श्रीमती मंजीत कौर पत्नी श्री उत्तम सिंह
26, हटवाडा रोड किरण नर्सिग होम के पास, हसनपुरा, सोडाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :–

1. श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक: 18.08.2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.10.2013 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स होटल दा रायल प्लाजा प्रो॰ श्रीमती गंजीत कौर पत्नी श्री उत्तम सिंह का हाईपोथीकेटेड आल स्टॉक (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) वर्क इन प्रोसेस, आल टाईप ऑफ गुड्स, आउट स्टेण्डिग, रिसीवेबल, लिस्ट आफ बुक्स–डेब्ट्स, डेटर्स ऑल मूवेबल्स, इक्यूपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स टूल्स, ऐसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्निचर,फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथीकेशन कम लोन एग्रीमेन्ट दिनांकित 21.10.2013 में विस्तृत रूप से परिभाषित) को हाईपोथीकेटेड कर राशि 20,00,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.04.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पति व इससे सम्बन्धित दस्तावेजात का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को 20,00,000/–रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,28,170/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.04.2017 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स होटल दा रॉयल प्लाजा प्रो॰ श्रीमती मंजीत कौर पत्नी श्री उत्तम सिंह का हाईपोथीकेटेड आल स्टॉक (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) वर्क इन प्रोसेस, आल टाईप ऑफ गुड्स, आउट स्टेण्डिग, रिसीवेबल, लिस्ट आफ बुक्स–डेब्ट्स,डेटर्स ऑल मूवेबल्स, इक्यूपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स टूल्स, ऐसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्निचर,फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथीकेशन कम लोन एग्रीमेन्ट दिनांकित 21.10.2013 में विस्तृत रूप से परिभाषित) का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा व उससे सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 18.08.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

18/8/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर